

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निर्णय

एकल पीठ दीवानी प्रकीर्ण अपील संख्या 2786/2004

श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री भौरीलाल बनाम राजीव वशिष्ठ व अन्य।

दिनांक: 31/7/2008

माननीय न्यायाधिपति श्री चतरा राम

श्री अली मोहम्मद खां अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थिनी उप0

सुश्री अर्चना मंत्री अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी संख्या 3 उप0

न्यायालय द्वारा-

1- अपीलार्थिनी श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री भौरीलाल की ओर से यह अपील न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-8, जयपुर नगर, जयपुर के निर्णय दिनांक 14/9/2004 के विरुद्ध पेश की गयी है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 27/6/99 को प्रार्थिनी श्रीमती मीरा देवी मोतीझूंगरी के गणेशजी के मंदिर के पीछे रहने वाले रिश्तेदारों के यहां खाना खाकर अपने घर लौट रही थी तभी समय करीब रात्रि 9.15 बजे नारायण निवास के पास एक मारुति कार चालक अपनी कार संख्या डी.डी.आर.94 को अत्यधिक तेज गति, गफलत एवं लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ लोया तथा प्रार्थिनी के भयंकर टक्कर मारी जिससे उसके गम्भीर चोटें आईं। इसपर प्रार्थिनी के द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र पेश कर 15,52,000/- मांगे जाने पर, अधीनस्थ न्यायाधिकरण के द्वारा कुल 8,43,500/-

रुपये बतौर क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के विरुद्ध अपीलार्थिनी की ओर से यह अपील दायर की गयी है।

3- पक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी और अधीनस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय का अवलोकन किया गया।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थिनी की ओर से दलील दी गयी कि अपीलार्थिनी श्रीमती मीरा देवी 250/- रुपये रोजाना कमाती थी और दुर्घटना के कारण स्थायी अयोग्यता प्रमाण पत्र-1 के अनुसार, शत-प्रतिशत निर्योग्यता से ग्रस्त होने से एक परिचर (attendant) की आवश्यकता रोजाना की दिनचर्या की पूर्ति हेतु आवश्यक है मगर फिर भी परिचर (attendant) के लिये जो 2,000/- रुपये माहवार दिलाये गये हैं, वे कम होने से बढ़ाये जाने चाहिये तथा उसकी आय 81/- रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निश्चित की गयी है, वह भी निश्चित नहीं होने से क्षतिपूर्ति बढ़ायी जानी चाहिये।

5- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक विपक्षी संख्या 3 की ओर से दलील दी गयी कि इस मामले में अपीलार्थिनी श्रीमती मीरा देवी की अपंगता और भविष्य में परिचर (attendant) की आवश्यकता तथा कुल भविष्य की आय को ध्यान में रखते हुए कुल मिला कर 8,43,000/- रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति चार साल पहले दिलाये जाने से जो राशि एक मुश्त जमा की गयी है उससे मिलने वाले ब्याज को देखते हुए भी किसी भी तरह से क्षतिपूर्ति कम नहीं है और इसलिये अपील निरस्त की जानी चाहिये।

6- पक्षकारों की उक्त दलीलों को सुना जाकर, अधीनस्थ न्यायाधिकरण के द्वारा अपीलार्थिनी श्रीमती मीरा देवी पत्नी भौरीलाल के संबंध में पूर्ण विचार कर जो क्षतिपूर्ति विभिन्न मर्दों के तहत उपरोक्तानुसार लगभग साढ़े आठ लाख रुपये की दिलायी गयी है उसको देखते हुए यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिये।

7- परिणामतः यह अपील खारिज की जाती है।

(चतरा राम)

न्यायाधिपति

/राम/